

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी, टोंक (राज.)

क्रमांक :- रसद/एफपीएस/2026/

दिनांक :-

2026

विज्ञप्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 17.3.2016 एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 की पालना में टोंक जिले में रिक्त/नवसृजित 11 उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र आवेदक/संस्था से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

उपखण्ड टोंक

क्र.स.	वार्ड/ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थल	आरक्षण का विवरण	रिक्त/नवसृजित
1.	टोंक शहर	वार्ड नम्बर 04 (चन्दलाई)	महिला आरक्षित	नवसृजित
2.	टोंक शहर	वार्ड नम्बर 11 (महादेवाली)	सामान्य	नवसृजित
3.	टोंक शहर	वार्ड नम्बर 28	सामान्य	रिक्त
4.	पराना	वजीराबाद	सामान्य	रिक्त

उपखण्ड देवली

क्र.स.	वार्ड/ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थल	आरक्षण का विवरण	रिक्त/नवसृजित
1.	देवली शहर	वार्ड नम्बर 01 देवली गांव	महिला आरक्षित	रिक्त
2.	रामथला	मालेडा	सामान्य	रिक्त
3.	बंथली	बंथली	सामान्य	रिक्त
4.	गेरोटा	गेरोटा	सामान्य	नवसृजित

उपखण्ड- टोडारायसिंह

क्र.स.	वार्ड/ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थल	आरक्षण का विवरण	रिक्त/नवसृजित
1.	मेहरू	मेहरू	सामान्य	रिक्त
2.	दतोब	दतोब	सामान्य	रिक्त



उपखण्ड –मालपुरा

क्र.स.	वार्ड/ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थल	आरक्षण का विवरण	रिक्त/नवसृजित
1.	लाम्बाहरिसिंह	लाम्बाहरिसिंह	महिला आरक्षित	रिक्त

योग्यता—

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जाएगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।

उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan knowledge corporation limited rkcl या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य की दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12 वी कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी ली जावेगी कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा। वह ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

3. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों के पूर्ण करता है तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा स्वामित्व किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों के पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें 06 माह में मापदण्डों पूर्ण किए जाने का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि घोषणा-पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो प्राधिकार-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

4. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष / महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 02 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो

ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव के एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई की समझा जावेगा।

5. राज्य सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र हेतु 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति, 05 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति एवं 50 प्रतिशत स्थान अनारक्षित रखे जाने का प्रावधान रखे गए हैं। आरक्षित उचित मूल्य दुकानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक हेतु पात्र होगा।

6. एक ग्राम सेवा सहकारी समिति / लेम्पस / दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को एक उचित मूल्य की दुकान के लिए ही प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों / लेम्पस / दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है वह आवेदन हेतु पात्र नहीं होगा।

आवेदन का तरीका –

1. आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2026 से 25.08.2026 तक कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय टोंक से प्राप्त किए जा सकेंगे एवं भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2026 को सांय 06.00 बजे तक जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

2. आवेदन पत्र का मूल्य 100 रुपये निर्धारित किया गया है जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) के द्वारा जमा करवाया जा सकेगा। किसी अन्य स्थान यथा टाइपिस्ट, नोटरी, बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:—

1. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र। उक्त प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के 08 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) का 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
3. आवेदन सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में उसके प्रबंधक /सचिव की शैक्षणिक योग्यता / कम्प्यूटर दक्षता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
4. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशंषा का पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. निजी आवेदकों के लिए 01 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण-पत्र जो संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा।

6. महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रुपये होने संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति।
7. प्रस्तावित दुकान का नक्शा दो प्रतियों में।
8. निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र। (प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न है)
9. मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
10. जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
11. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।
12. राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।
13. मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।
14. पासपोर्ट साईज के 03 नवीनतम फोटो जिनमें एक आवेदन पत्र पर चस्पा किया जायेगा एवं दो संलग्न किये जायेंगे।
15. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी आवेदक (संस्था) को अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उनके घर में कार्यशील शौचालय है।

चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :-

आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही पात्र होगा। अनारक्षित (सामान्य) स्थानों में

चयन करने में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा
प्रथम वरीयता

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है।
2. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को 03 वर्ष का कार्यानुभव हो।
3. ग्राम पंचायत/निगमित निकाय।

द्वितीय वरीयता प्रथम वरियता के आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर:-

1. दिव्यांग (बेरोजगार), 2. भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार) 3. अन्य पात्र (बेरोजगार)

महिला आरक्षण में निम्नानुसार में निम्नानुसार वरियता निर्धारित नहीं होगी।

2. महिला क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी।
 1. दिव्यांग महिला (बेरोजगार)
 2. शहीद की विधवा (वीरांगना) (बेरोजगार)
 3. विधवा (बेरोजगार)

4. परित्यक्ता (बेरोजगार)
5. भूतपूर्व सैनिक महिला (बेरोजगार)
6. अन्य पात्र महिला (बेरोजगार)

नोट:— आरक्षित श्रेणी की उचित मूल्य दुकानों के लिए चयन का आधार द्वितीय वरियता के अनुसार होगा। यदि किसी उचित मूल्य की दुकान के लिए एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसे प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

नोट:— द्वितीय वरियता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होंगी।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 17 (1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जानी है। उक्त आदेशों अनुसार की उचित मूल्य दुकान आवंटन सम्बन्धित समस्त कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 17.03.2016 के दिशा-निर्देश, दिनांक 25.11.2020 के पत्र तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय टोक और विभागीय वेबसाइट www-food-rajasthan-gov-in एवं जिले की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं

नोट:—उचित मूल्य दुकानों की संख्या में कमी/वृद्धि/निरस्त या स्थान परिवर्तन आदि करने के लिए कार्यालय हमेशा सक्षम होगा।

उक्त विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन /नियुक्ति विभिन्न अपीलीय /न्यायिक न्यायालयों के निर्णयों के अध्याधीन होगा।

जिला रसद अधिकारी
टोक

क्रमांक— रसद/एफपीएस/2026/
प्रतिलिपि —

दिनांक :—

1. माननीय मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल राजस्थान जयपुर।
2. माननीय सांसद महोदय जिला टोक।
3. माननीय विधायक महोदय टोक, देवली, टोडारायसिंह, मालपुरा।
4. निजी सचिव श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
5. श्रीमान जिला कलेक्टर, महोदय टोक।

6. निजी सचिव श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
7. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
8. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी को टोक के स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
9. एस. सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट www.food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
10. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक जिला टोंक।
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट टोंक, उपखण्ड अधिकारी देवली, टोंक, मालपुरा,टोडारायसिंह नगर पालिका/पंचायत समिति देवली, निवाई, उनियारा, पीपलू, टोंक एवं सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, टोंक।
12. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी को टोक के स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

जिला रसद अधिकारी
टोंक